(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-3001-I/14

1 खुमानसिंह पिता स्व नवलसिंह राजपूत

2 लक्ष्मणसिंह पिता स्व नवलसहि राजपूत्त

निवासी ग्रमा सेमली चंद्रावत तह व जिला नीमच

—— आवेदक

विरूद्ध

1 धापू कुंवर पिता स्व मेघसिंह

पति स्व नारायणसिंह

निवासी ग्रमा बूज तह मनासा जिला नीमच

2 मोर कुंवर पिता स्व मेघसिंह

पति स्व हिंदुसिंह

निवासी ग्राम आकली तह नीमच

3 बख्तावरसिंह पिता स्व नवलसिंह

4 जसकुंवर पति स्व नवलसिंह

निवासी ग्रमा सेमली चंद्रावत तह व जिला नीमच

—— अनावेदकगण

3/9/14

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, नीमच जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 64/अपील/2012—13 मे पारीत आदेश दिनांक 9/7/2014 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते है:—

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कारण के आवेदक की अपील को समयावधि में मानने में महान वैधानिक त्रुटि की है।

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

56

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3001-एक/14 **जिला** - नीमच

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	